स्मरण–पत्र
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा / एस.एच.जी. / मबावि / 2005 / 54330-640

जयपुर, दिनांक 27.10.09

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय :– आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था मातृ समिति के स्थान पर महिला स्वयं सहायता समूहों से कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– समसंख्यक पत्र कमांक–53704–54005 दिनांक 06.08.2009।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि सक्षम महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन कर तीन माह में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था मातृ समितियों के स्थान पर इनके माध्यम से कराई जावे। जिलों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन से जानकारी में आया है कि उक्त आदेशों की पालना अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है।

सिविल रिट पीटीशन संख्या 196 / 2001 पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.03.08 को माननीय उच्चतम न्यायालय को समेकित बाल विकास सेवाओं के बारे में प्रस्तुत किये गये हलफनामें में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार को महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला मण्डल, ग्रामीण समुदाय द्वारा बनाने एवं वितरण करने का उल्लेख किया गया है। गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है और समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य सेवाएं यथा शाला पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह आदि के लिए समय नहीं मिल पाता है।

उपरोक्त संदर्भ में राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था मुख्यतः स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक–11579–888 दिनांक 24.02.09 के बिन्दु संख्या–17 में निर्देशित किया गया था कि " जहां मातृ समिति प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही हो उन केन्द्रों पर इस व्यवस्था के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूह का चयन किया जावे तथा धीरे–धीरे समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराई जावे। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रो पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था महिला स्वयं सहायता समूह / अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि माह नवम्बर, 2009 से समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार की व्यवस्था मातृ समितियों के स्थान पर चयनित सक्षम महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करायी जावे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियों पर निगरानी एवं उनके संचालन में सहयोग के लिए मातृ समितियां यथावत पर्यवेक्षण का कार्य करती रहेगी।

निर्धारित समयावधि मे निर्देशो की पालना नही किये जाने पर सम्बन्धित उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

गरम पूरक पोषाहार व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.4 (1)( )पोषा/SHG/मबावि/2005/74641-649 जयपुर, दिनांक 27.10.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3 निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, म.एवं बा.वि.वि.,राज. जयपुर।
4 निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
5 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.............................।
7 मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8 समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9 कम्प्यूटर प्रशाखा–मुख्यालय (विभागीय बेबसाईट पर लोड करने हेतु)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)